रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 30 जुलाई, 1988/8 श्रावण, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd February, 1988

No. Agr. D-4 (1)/86.—In partial modification of all previous notifications issued so far regarding fixation of hiring rates of Bulldozers (Use and Recovery of Charges) Rules, 1975 (Rule 5.1), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the following hiring rates for Bulldozers for

278-राजपत्र/88-30-7-88—1,325. मूल्य: 20 पैसे।

Agriculture purposes as per the approved rates for Commercial purposes as under with immediate effect:—

Sr. No.	Type of Bulldozers	Revised commercial rates of hiring charges per hour for Agriculture purposes	Revised commercial rates crawling charges per km. for Agriculture purpose
1	2	3	4
			Rs.
1.	Deutz. Crawler 80 (Dozer)	Dr./750 Rs. 284.45	3.70
2.	Dozer-Bharat-D-50	Rs. 314.60	3.70
3.	Detutz. DH. 1250	Rs. 338.80	3.70

The revised rates of hiring charges of Bulldozer of different makes has been fixed on commercial rates on the basis of the analysis of rate as applicable to H.P.P.W.D.

By order,
Sd/-
F.C. (Dev.)-cum-*Agriculture Prod. Commissioner.*

पर्यटन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 जुलाई, 1988

संख्या 6-31/87-पर्यटन (सचि.).—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः मौजा गुमरंग परगना नं० ह० (7) तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवम् स्पिति, हिमाचल प्रदेश में पर्यटक आवास के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश के सम्मुख अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरण

जिला : लाहौल एवं स्पिति — तहसील : लाहौल

मौजा 1	परगना 2	खसरा नं0 3	क्षेत्र 4		
गुमरंग	नं0 ह0 (7)	1076/902	2	1	0
		916	1	19	0
		914	0	12	0
		913	0	17	0
		1260/1104	2	07	0
		1261/1104	1	03	0
	कुल		9	03	0

आदेश द्वारा
ए0 एन0 विद्यार्थी,
वित्तायुक्त एवम् सचिव।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 जुलाई, 1988

संख्या 6-10/88-परिवहन.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1-1/84-परिवहन, दिनांक 5-1-1987 का अधिक्रमण करते हुए, मोटर वाहन अधिनियम, 1939 का अधिनियम सं0 4 की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त धारा की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट शक्तियों तथा कृत्यों के अपने क्षेत्र में प्रयोग करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण उनके सामने दिये गए क्षेत्रीय अधिकारिता निश्चित करते है :—

		क्षेत्र
1.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण शिमला	जिला शिमला, किन्नौर, सोलन तथा सिरमौर।
2.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण मंडी (नया कार्यालय)।	जिला मण्डी, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू तथा लाहौल एवं स्पिति।
3.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण धर्मशाला	जिला कांगड़ा, ऊना तथा चम्बा।

आदेश द्वारा,
जी0 एस0 चम्बियाल,
आयुक्त एवं सचिव।

कार्यालय जिलाधीश, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला, 1 मार्च, 1988

संख्या 981-83/पंच.—क्योंकि श्रीमती मलां देवी, निवासी मित, डाकघर, सिल्ह ने उप-मण्डलाधिकारी (ना0) देहरा को अपने आवेदन पत्र द्वारा अवगत करवाया कि मास जनवरी, 1987 में श्री लक्ष्मण दास, प्रधान, ग्राम पंचायत सिल्ह तथा श्री राम चन्द पटवारी, हल्का सिल्ह द्वारा मु0 1500 रु0 ले कर उसके पति श्री चिन्त राम को 8 कनाल भूमि आबंटित की गई;

और क्योंकि उप-मण्डलाधिकारी (ना0) देहरा द्वारा जांच करने पर पाया गया कि उक्त भूमि सरकारी थी तथा पटवारी एवं प्रधान, ग्राम पंचायत सिल्ह ने अपने ही स्तर पर मिली-भगत से प्रार्थी को आबंटित की, जोकि नियमानुसार ठीक नहीं था;

और क्योंकि जांच के दौरान धनराशि लेने सम्बन्धी कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया, फिर भी यदि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा किया गया तो वह पटवारी तथा प्रधान की सहमति से ही सम्भव हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अवैध कब्जा बारे कोई कारवाई अमल में नहीं लाई जो कि उनकी अपने कर्त्तव्यों के प्रति सत्यनिष्ठा शंकित करती है;

और क्योंकि उपरोक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि प्रधान ने हल्का पटवारी के साथ मिलकर अपने पद का दुरुपयोग किया है, अत: मैं, टी0 सी0 जनार्था, अतिरिक्त जिलाधीश, कांगड़ा स्थित धर्मशाला श्री लक्ष्मण दास, प्रधान, ग्राम पंचायत सिल्ह, विकास खण्ड देहरा को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 के नियम 54 (1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न उन्हें प्रधान पद से निलम्बित किया जावे। नोटिस का उत्तर 15 दिन के भीतर इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही व्यवहार में लाई जावेगी।

टी0 सी0 जनार्था,
अतिरिक्त जिलाधीश,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Kullu, the 20th July, 1988

No. FDS-2(S)5/88-5627-5897.—In supersession of all previous notifications and in exercise of the powers conferred upon me under clause 3 of the Kerosene Oil (Fixation and Ceiling Prices) Order, 1970 I, P. K. Monga, District Magistrate, Kullu, District Kulu H. P. do hereby refix the wholesale and retailsale rates of superior Kerosene Oil at various

places mentioned below with immediate effect:--

S. No.	Name of Station	Wholesale rate per KL including S.T.	Retailsale prices including S. T. and surcharge per litre
.	Kullu	2156.38	2.22
2.	Bhuntar	2167.58	2.23
3.	Katrain	2188.38	2.29
4.	Patlikuhal	2191.58	2.29
5.	Manali	2220.38	2.28
6.	Bahang	2228.38	2.33
7.	Jagatsukh	2237.98	2.34
8.	Nagar	2263.58	2.36
9.	Larankelo	2271.58	2.37
10.	Larji	2199.58	2.30
1.	Banjar	2233.18	2.33
12.	Sainj	2223.58	2.32
13.	Goshani	2249.18	2.35
14.	Manikaran	2223.58	2.32
15.	Jari	2204.38	2.30

The kerosene oil will not be stored at any premises other then the place of business.

Every dealer shall prominently display the prices of kerosene oil along with his daily stock position on the board to be maintained for the purpose at the entrance of the place of the sale of kerosene oil and also the quantity of kerosene oil held by him. The dealer should maintain a true account of sale and purchase of kerosene oil. The wholesaler will issue cash memo for each sale.

Any dealer selling or attempting to sell or abeting the sale of kerosene oil at the higher prices than those specified above or refusing to sell the kerosene oil without sufficient reasons, shall be punishable under section 7 of the Essential Commodities Act, 1955.

The kerosene oil dealers beyond the places mentioned in the schedule shall add actual transportation charges or Truck Operators Union rates, whichever is less, from the nearest above specified point to arrive at the sale rate.

All the wholesale dealers of kerosene oil will submit monthly report to the District Food & Supplies Controller, Kullu in the proforma already supplied to them.

The above order shall come into force with immediate effect and extend to the whole of Kullu district excluding Outer Seraj area.

wholesale quantity means above 18.5 litres at a time.

Retail quantity means 18 5 litres or lesssat a time.

P. K. MONGA,
District Magistrate Kullu,
District Kullu.

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, MANDI DISTRICT, MANDI (H.P.)

OFFICE ORDERS

Mandi, the 22 July, 1988

No. PCN-MND-A (61)/85.—*In exercise of the powers vested in me under Rule 19 (B) of* the Himachal Pradesh Gram Panchayat Rule, 1971 (read with notification No. PCH-HB (2)-19/76, dated 15th Janaury, 1982) I, S. K. Justa, Additional Deputy Commissioner, Mandi, District Mandi hereby accept the resignation of Sh. Thakru, Panch, Ward No. 3, Gram Panchayat Sorta, Development Block Karsog, District Mandi with immediate effect.

Mandi, the 23 July, 1988

No. PCN-MND-A (1) 61/85.—In exercise of the powers vested in me under the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 and rules made under thereto, I, S. K. Justa, Additional Deputy Commissioner, Mandi district, Mandi declare the vacant seat of Sh. Thakru, Panch, Ward No. 3, Gram Panchayat Sorta, Development Block Karsog, District Mandi due to his resignation.

S. K. JUSTA,
Additional Deputy Commissioner,
Mandi, District Mandi.

स्थानीय स्वायत स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 20 जून, 1988

संख्या एल0 एस0 जी0-ए0 (7)-4/71-I.—चूंकि अधिसूचित क्षेत्र समिति भुन्तर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के प्रधान तथा सदस्यों का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है अत: अब, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 (अधिनियम नं 19, 1968 का) की धारा 257 की उप-धारा (1) के (डी) तथा (ई) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों को अधिसूचित क्षेत्र समिति भुन्तर के लिए तत्काल तीन वर्ष के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

सरकारी सदस्य:

1.	उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), कुल्लू	. . प्रधान
2.	अधिशासी अभियन्ता, हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग मण्डल नं0 1	. . सदस्य
3.	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य, कुल्लू	. . सदस्य
4.	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत मण्डल, कुल्लू	. . सदस्य
5.	वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू	. . सदस्य
6.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू	. . सदस्य
7.	सहायक आयोजनकार, कुल्लू	. . सदस्य
8.	एरोड्रम अधिकारी, भुन्तर (कुल्लू)	. . सदस्य

गैर सरकारी सदस्य:

1. श्री विनोद चन्द चंडोक, कनफैक्शनर, कुल्लू ..सदस्य
2. श्री सुन्दर सिंह बोध, गांव शमशी, जिला कुल्लू ..सदस्य
3. श्री जोगिन्दर सिंह, कपड़ा व्यापारी, भुन्तर ..सदस्य
4. श्री राम दास, गांव शमशी, जिला कुल्लू ..सदस्य
5. श्री गौरी शंकर, भुन्तर, जिला कुल्लू ..सदस्य
6. श्रीमती लौटमी देवी विधवा श्री सीता राम, शमशी, जिला कुल्लू ..सदस्य
7. श्री गुरबक्श लाल, भुन्तर ..सदस्य
8. श्री ओम प्रकाश सुपुत्र श्री चुनी लाल, गांव व डा० शमशी ..सदस्य
9. श्री राम सिंह सुपुत्र श्री ताशी नोरबू, डा० भुन्तर ..सदस्य

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 5th February, 1988

No. PCH.HB (2) 1/83.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in the Recruitment and Promotion Rules for the posts of Driver and Duplicating Machine Operator notified *vide* notification of even number, dated the 28th Feb., 1987 and published in the Himachal Pradesh Rajpatra (Extraordinary) dated 14-3-87:—

1. Recruitment and Promotion Rules of Drivers.—(*i*) The words "application by the Commission" in Note-1 against column 6 shall be substituted by the words "Applications by the Department."

(*ii*) The words "Himachal Pradesh Public Service Commission in case of" in Note-2 against column 6 shall be substituted by the "Government in case".

(*iii*) The words "As required under the Law" against column No. 13 may be substituted by the words "Not applicable".

(*iv*) The words "and in consultation with the H.P.P.S.C." appearing in 5th and 6th line against column No. 17 shall be deleted.

2. Recruitment and Promotion Rules of Duplicating Machine Operator.—(*i*) The words "application by the Commission" in Note-1 against column 6 shall be substituted by the words "applications by the Department".

(*ii*) The words "Himachal Pradesh Public Service Commission in case of" in Note-2 against column 6 shall be substituted by the words "Government in case".

(*iii*) The words "As required under the Law" against column No. 13 may be substituted by the words "Not applicable."

(*iv*) The last two lines "and in consultation with respect to any class or category of persons or posts" written against column No.17 shall be substituted by the words "relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts."

By order,
Sd/-
Secretary.

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 22 जुलाई, 1988

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5) 354/76.—क्योंकि श्री प्रेम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत मल्यावर, विकास खण्ड एवं तहसील घुमारवीं के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप हैं:—

विकास खण्ड अधिकारी घुमारवीं द्वारा प्लैज कूहल छुजाला के लिए 31-3-81 को 1500/- रुपए का दिया जाना जो राशि पंचायत खाते में जमा नहीं हुई है।

मु0 625/-रुपये की राशि विकास खण्ड अधिकारी घुमारवीं द्वारा चैक संख्या 049511, दिनांक 9-2-85 को दिया जाना और उस राशि का पंचायत खाते में जमा न होना।

क्योंकि ग्राम पंचायत मल्यावर ने जितने भी विकास कार्य के लिए जो सामग्री उक्त प्रधान द्वारा क्रय की गई थी उसका इन्द्राज सम्बन्धित रजिस्टर में करवा कर वास्तविक क्रय की गई सामग्री पुष्टि करवाने में बाधा उत्पन्न की है।

और क्योंकि उपरोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए जांच का करवाया जाना आवश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) घुमारवीं को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश, बिलासपुर के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5, द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।